राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प. 33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 22 नवम्बर, 2020

जिला कलक्टर्स एवं
जिला मजिस्ट्रेट (समस्त)

विषय :– विवाह संबंधी आयोजन में आमन्त्रित मेहमानों (अथितियों) की संख्या को नियंत्रित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स मे कई एहतियाती एवं प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रावधान किये गये हैं। विवाह संबंधी आयोजन के लिए गाईडलाईन्स में एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किये गये विनियमों में आमन्त्रित किये गये मेहमानों (अतिथियों)की संख्या 100 से अधिक नही होगी, के प्रावधान किये गये हैं।

विवाह समारोह के लिए मेहमानो की निर्धारित संख्या एवं कोविड–19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु तत्काल निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा।**
2. **जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित कर विवाह समारोह की विडियोग्राफी कराई जायेगी।**
3. **विडियोग्राफी के अवलोकन करने पर यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमन्त्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है तो ऐसे आयोजनकर्ता के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम**

जारी 2 पर

www.rajteachers.com

2020 के अन्तर्गत जारी किये गये विनियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना कराई जाये।

22/11/2020

(एन.एल. मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस (समस्त)।
2. आयुक्त पुलिस जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस जयपुर/जोधपुर।

22/11/2020.

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव,गृह (पुलिस)

www.rajteachers.com